v/;k; & I% fogxkoyksdu

1-1 ;g izfrosnu

इस प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य राजस्व विभागों की प्राप्तियों के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा का कार्य नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत किया गया है।

प्रतिवेदन में छः अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकायें एवं एक निष्पादन लेखापरीक्षा ''मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण'' सम्मिलित है। इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा परिणामों का कुल–राजस्व प्रभाव ₹ 88.57 करोड़ है। अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र निर्धारण है की, क्या दी गई विषय वस्तु (गतिविधि, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेन–देन, संस्था एवं संस्थाओं के समूह के संबंध में जानकारी) लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिताओं इत्यादि एवं सुदृढ़ लोक वित्तीय प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतो एवं लोक अधिकारियों के आचरण का सभी तरह से अनुपालन करता है। निष्पादन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र, उद्देश्यात्मक एवं भरोसेमंद परीक्षण है कि क्या शासकीय इकाईयां, संस्थायें, कार्य, कार्यक्रम, निधियां, गतिविधियां (उनके प्रयोग्य सामग्रियों, प्रक्रियाओं, निर्गत, परिणामों एवं प्रभाव के साथ) मितव्ययी, दक्षता और प्रभावकारिता के सिद्धांतों के अनुसार प्रचालित है एवं क्या सुधार हेतु कोई गुंजाईश है।

प्रतिवेदन का मूलभूत प्रयोजन लेखापरीक्षा के परिणामों को राज्य विधान सभा के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से अपेक्षित है कि कार्यपालक सुधारात्मक कार्रवाई करने में समर्थ होंगे, संगठनों के उन्नत वित्तीय प्रबंधन के लिए उपयुक्त नीति तथा टिप्पणियाँ जारी करने एवं बेहतर शासन हेतु योगदान होगा।

इस प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा आपत्तियां संबंधित शासकीय विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के नमूना जाँच परिणामों पर आधारित है। समान अनियमिततायें, त्रुटियां/लोप इन विभागों के अन्य इकाईयों मे हो सकते है, जिसे नमूना लेखापरीक्षा में सम्मिलित नही किया गया है। अतः विभागों को सभी ईकाईयों का परीक्षण करना चाहिए जिससे सुनिश्चित हो कि कर का निर्धारण, आरोपण, संग्रहण एवं लेखाबद्ध अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

यह अध्याय छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2018–19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का विहंगावलोकन, पाँच वर्ष अवधि 2014–15 से 2018–19 के प्राप्तियों के प्रवृत्ति का विश्लेषण एवं बकाया करों जो 31 मार्च 2019 की स्थिति मे वसूली हेतु लंबित है, का विवरण प्रस्तुत करता है। आगे, राज्य के राजस्व प्राप्तियों की जाँच हेतु लेखापरीक्षा दृष्टिकोण उल्लेखित है, एवं लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया पर भी विचार विमर्श किया गया है।

1-2 jktLo izkfIr;ksa dh izofÙk

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित राजस्व (कर तथा करेत्तर राजस्व, राज्य को दिये गये विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से का निवल आगम, वर्ष 2018–19 में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं पिछले चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े) का संक्षिप्त विवरण rkfydk 1-1 में वर्णित हैः

rkfydk 1-1% jktLo izkfIr;ksa dh izo`fÙk

¼₹ djksM+ esa½

l-Ø	fooj.k	2014&15	2015&16	2016&17	2017&18	2018&19
1-	jkT; 'kklu }kjk lax`fgr jktLo					
	dj jktLo	15,707.26	17,074.86	18,945.21	19,894.68	21,427.26
	foxr o"kZ dh rqyuk esa o`f) dk izfr'kr	9-51	8-71	10-95	5-01	7-70
	करेत्तर jktLo	4,929.91	5,214.79	5,669.25	6,340.42	7,703.02
	foxr o"kZ dh rqyuk esa o`f) dk izfr'kr	&3-36	5-78	8-71	11-84	21-49
	;ksx	20]637-17	22]289-65	24]614-46	26]235-10	29]130-28
2-	Hkkjr ljdkj ls izkfIr;k¡					
	foHkkT; la?kh; djksa ,oa 'kqYdksa esa jkT; dk fgLlk dk fuoy vkxe	8,363.03	15,716.47	18,809.16	20,754.81	23,458.69
	lgk;rk vuqnku[1]	8,987.81	8,061.59	10,261.63	12,657.17	12,505.96
	;ksx	17]350-84	23]778-06	29]070-79	33]411-98	35]964-65
3-	jkT; dh dqy jktLo izkfIr;k¡ ¼1 $ 2½	37]988-01	46]067-71	53]685-25	59]647-08	65]094-93
4-	1 dk 3 ls izfr'kr	54	48	46	44	45

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें)

संसाधनो के जुटाव में राज्य के निष्पादन का निर्धारण राज्य के हिस्से का केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान जो वित्तीय आयोग के अनुशंसा पर आधारित है, को छोड़कर कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के आधार पर होता है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, राज्य का कर एवं करेत्तर राजस्व पाँच वर्ष अवधि 2014–19 में वृद्धि हो रही है। करेत्तर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 2018–19 के दौरान 21.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो प्रमुखतः अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, लघु एवं वृहद सिंचाई आदि से राजस्व की वृद्धि के कारण हुई। हालाँकि, राज्य शासन द्वारा अर्जित स्वयं के संसाधनों का प्रतिशत कुल राजस्व की तुलना में चार वर्ष अवधि 2014–15 से 2017–18 में कमी हो रही है, 2018–19 के मामूली बढ़त के पहले।

राज्य के राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न विच्छेदों का चित्रमय प्रदर्शन pkVZ 1-1 में दिया गया है:

[1] केंद्र प्रायोजित योजना, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा हो, को वित्त आयोग अनुदान एवं अन्य स्थानांतरण/अनुदान (इसमे भारत सरकार से प्राप्त वस्तु एवं सेवा कर पर क्षतिपूर्ति भी शामिल) है।

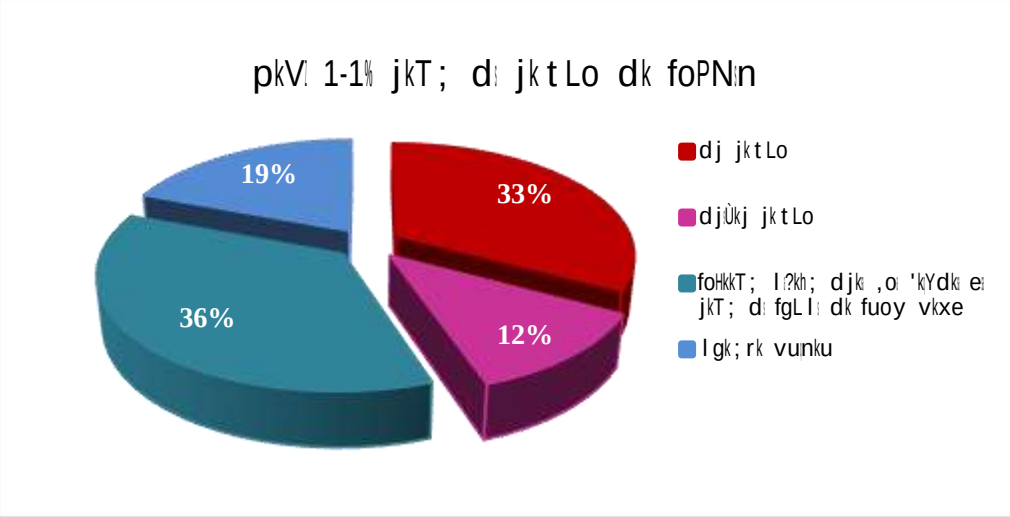

1-2-1 dj jktLo

वर्ष 2018–19 के लिए कर राजस्व के विभिन्न विच्छेदों का चित्रमय प्रदर्शन pkVZ 1-2 में दिया गया है:

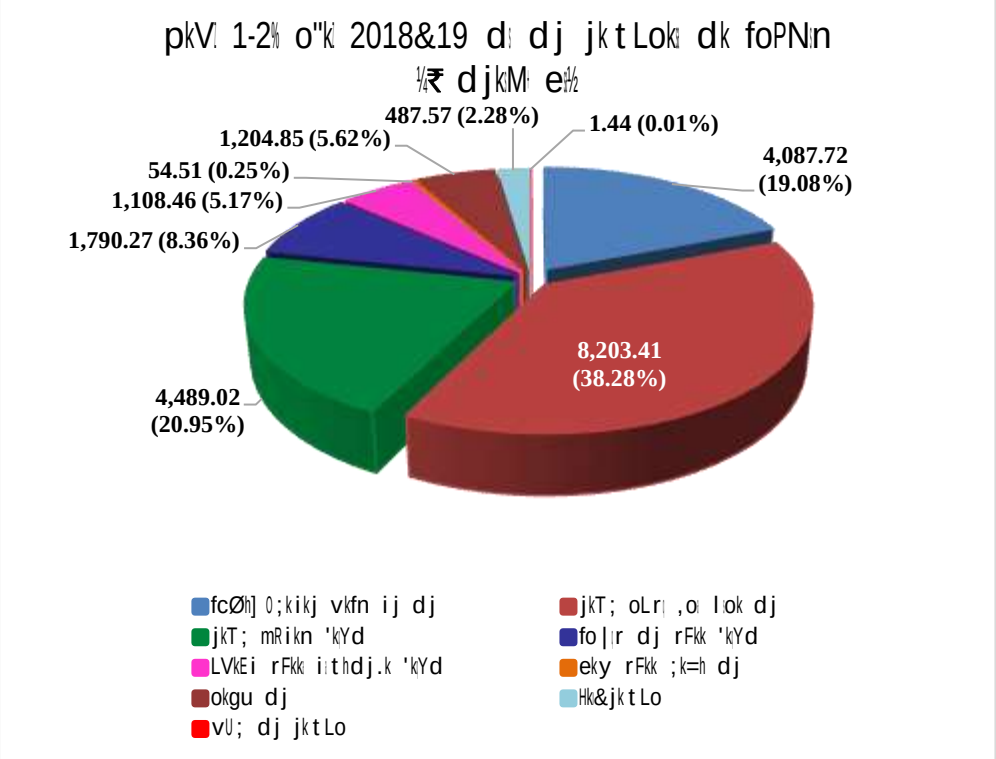

वर्ष 2014–19 के दौरान कर राजस्व का बजट अनुमान (ब.अ.) एवं वास्तविक प्राप्तियाँ rkfydk 1-2 में दी गई है:

Rkkfydk 1-2% 'kklu }kjk lax`fgr dj jktLo dk fooj.k

¼₹ djksM+ esa½

jktLo 'kh"kZ		2014&15	2015&16	2016&17	2017&18	2018&19	o"kZ 2017&18 dh rqyuk esa vUrj dk izfr'kr
बिक्री,	C-V-	9,800.00	10,998.00	11,928.37	13,444.70	3,718.42	(–) 36.62

व्यापार आदि पर कर	okLrfod	8,428.61	8,908.36	9,927.21	6,449.60	4,087.72	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर[2]	c-v-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3,212.82	5,006.65	
	okLrfod	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4,386.56	8,203.41[3]	(+) 87.01
राज्य उत्पाद शुल्क	c-v-	3,150.00	3,528.00	3,870.00	3,168.50	4,355.00	
	okLrfod	2,892.45	3,338.40	3,443.51	4,054.01	4,489.03	(+) 10.73
विद्युत कर तथा शुल्क	c-v-	1,100.00	1,400.00	1,575.00	1,650.00	1,850.00	
	okLrfod	1,312.93	1,372.84	1,495.48	1,688.95	1,790.27	(+) 6.00
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	c-v-	1,250.00	1,350.00	1,485.00	1,550.00	1,790.00	
	okLrfod	1,023.33	1,185.22	1,211.35	1,197.47	1,108.46	(–) 7.43
माल तथा यात्री कर[4]	c-v-	1,335.00	1,441.80	1,563.77	1,767.06	5.63	
	okLrfod	981.88	1,040.26	1,340.35	477.66	54.51	(–) 88.59
वाहन कर	c-v-	800.00	864.00	954.11	1,200.00	1,500.00	
	okLrfod	703.48	829.22	985.27	1,180.01	1,204.85	(+) 2.10
भू–राजस्व	c-v-	460.00	496.80	550.00	600.00	660.00	
	okLrfod	331.56	363.84	503.66	446.41	487.57	(+) 9.22
अन्य कर राजस्व[5]	c-v-	31.26	7.25	37.85	40.38	0.00	
	okLrfod	33.02	36.72	38.38	14.01	1.44	(–) 89.72
;kx	c-v-	17]926-26	20]085-85	21]964-10	26]633-46	18]885-70	
	okLrfod	15]707-26	17]074-86	18]945-21	19]894-68	21]427-26	¼$½ 7-70

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)

बिक्री कर के अंतर्गत प्राप्तियाँ राज्य शासन द्वारा 2014–18 के दौरान बजट, प्रत्याशित अनुमानों से मेल नहीं खा सका परंतु 2018–19 के दौरान बजटीय अनुमान से अधिक्य रहा। राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत भी प्राप्तियाँ 2017–19 के दौरान बजटीय अनुमान से अधिक्य रही एवं 2018–19 के दौरान राज्य के लिए राजस्व का एकमात्र सबसे बड़ा श्रोत रहा। राज्य आबकारी प्राप्तियाँ 2017–19 के दौरान बजटीय अनुमान से अधिक्य रही परंतु स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क, एवं भू–राजस्व 2014–19 के दौरान प्रत्याशित अनुमानों से मेल नही खा सके।

---

2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर जैसे की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और शौचालय तैयारी अधिनियम के तहत लगाया गया उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (सी.वी.डी), सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी), राज्य अप्रत्यक्ष कर जैसे की मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर एवं क्रय कर को राज्य वस्तु एवं सेवा कर में शामिल किया गया है।

3 राज्य वस्तु एवं सेवा कर में राशि ₹ 8,203.41 करोड़ के प्राप्ति के अतिरिक्त, भारत सरकार से अवधि 2018–19 में राज्य वस्तु एव सेवा कर पर क्षतिपूर्ति राशि ₹ 2,261.00 करोड़ प्राप्त हुए थे।

4 2018–19 की अवधि के दौरान माल तथा यात्री कर का प्रमुख भाग (97 प्रतिशत) प्रवेश कर से है, जिसे समाप्त कर 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित कर दिया गया है।

5 'अन्य' में वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित राजस्व मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ सम्मिलित हैः होटल प्राप्ति कर (₹ 1.00 करोड़); आय और व्यय पर अन्य कर (₹ 0.16 करोड़) और वस्तुओं और अन्य सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹ 0.28 करोड़)।

संबंधित विभागों द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में अंतर साथ ही कुछ मामलों मे पूर्व वर्ष से प्राप्ति में कमी के निम्नलिखित कारण सूचित किये गये।

fcØh] 0;kikj vkfn ij dj% पूर्व में मूल्य संवर्धित कर सभी वस्तुओं पर लागू थी परंतु वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के 1 जुलाई 2017 से कार्यान्वयन पश्चात पेट्रोल, डीजल, विमानन टरबाइन ईंधन, प्राकृतिक गैस एवं मदिरा को छोड़कर सभी वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर लागू है जिसके कारण बिक्री, व्यापार आदि पर कर में 36.62 प्रतिशत की कमी हुई।

jkT; oLrq ,oa lsok dj% वित्तीय वर्ष 2017–18 में जीएसटी से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों में 01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक की ही राजस्व प्राप्तियाँ शामिल थी। चूँकि वर्ष 2018–19 के राजस्व प्राप्तियों में सम्पूर्ण अवधि शामिल है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 87.01 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों से 63.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

jkT; mRikn 'kqYd% वृद्धि (10.73 प्रतिशत) 23 फरवरी 2017 को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गठन के फलस्वरूप अवैध मदिरा की बिक्री पर नियंत्रण के कारण हुई। आगे पूर्ववर्ती वर्ष 2017–18 की तुलना में 2018–19 में देशी/विदेशी मदिरा की अधिक खपत होने से डयूटी एवं काउंटर वैलिंग डयूटी की प्राप्ति में वृद्धि हुई।

eky rFkk ;k=h dj% कमी (88.59 प्रतिशत) 01 जुलाई 2017 से प्रवेश कर का वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित होने के कारण हुई। बजट अनुमान से 868.21 प्रतिशत की वृद्धि बकाया राजस्व की वसूली के कारण हुई।

eqnzkad ,oa iathdj.k 'kqYd% बजट अनुमान से 38.07 प्रतिशत की कमी छोटे भू–खण्डों के पंजीयन पर प्रतिबंध एवं वर्ष के दौरान कम संख्या में दस्तावेजों के पंजीयन के कारण हुई।

1-2-2 djsŸkj jktLo

वर्ष 2018–19 के करेत्तर राजस्व का विच्छेद pkVZ 1-3 में दर्शाया गया है।

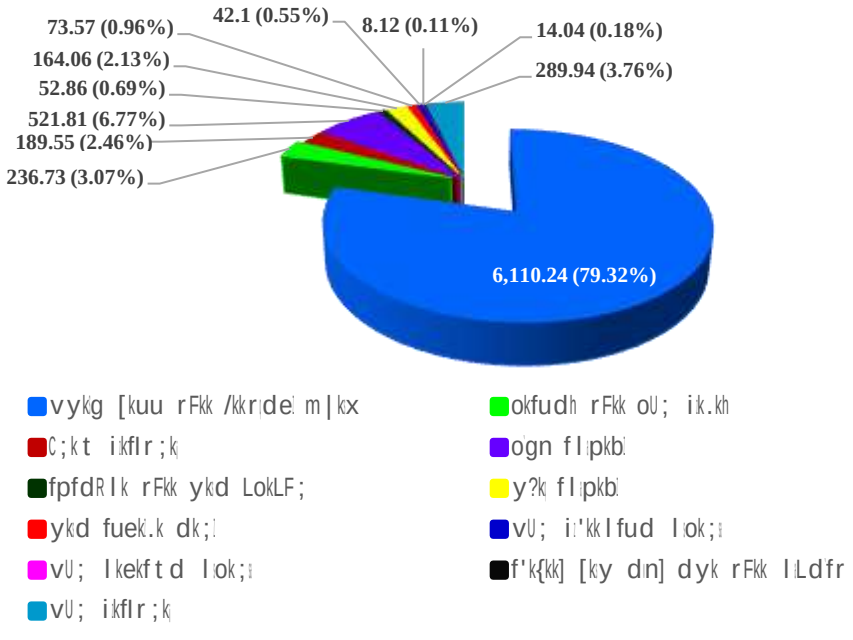

2014–19 की अवधि के दौरान उदग्रहीत करेत्तर राजस्व का विवरण rkfydk 1-3 में दर्शाया गया है:

rkfydk 1-3% 'kklu }kjk mnxghr djsRrj jktLo dk fooj.k

¼₹ djksM+ esa½

jktLo 'kh"kZ		2014&15	2015&16	2016&17	2017&18	2018&19	2017&18 dh rqyuk esa 2018&19 esa vUrj dk izfr'kr
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	c-v-	4,100.00	7,000.00	5,500.00	5,600.00	6,000.00	(+) 24.41
	okLrfod	3,572.68	3,709.52	4,141.47	4,911.44	6,110.24	
वानिकी तथा वन्य प्राणी	c-v-	520.00	500.00	550.00	600.00	600.00	(–) 18.70
	okLrfod	348.72	409.75	405.15	291.17	236.73	
ब्याज प्राप्तियाँ	c-v-	323.40	260.67	249.38	137.25	132.93	(+) 5.05
	okLrfod	171.89	108.23	157.24	180.44	189.55	
वृहद सिंचाई	c-v-	413.55	389.34	586.47	703.68	738.89	(+) 13.13
	okLrfod	410.95	502.17	437.35	461.23	521.81	
लघु सिंचाई	c-v-	561.50	277.47	288.34	288.34	302.76	(+) 34.77
	okLrfod	127.23	121.91	180.84	121.73	164.06	
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	c-v-	14.80	16.22	15.93	29.33	45.99	(+) 0.57
	okLrfod	20.16	43.15	46.50	52.56	52.86	
लोक निर्माण कार्य	c-v-	18.93	21.77	43.72	73.70	43.00	(+) 35.51
	okLrfod	39.21	42.73	41.12	54.29	73.57	
अन्य प्रशासनिक सेवायें	c-v-	16.06	30.40	23.69	65.43	42.82	(+) 5.75
	okLrfod	36.45	65.52	36.66	39.81	42.10	
अन्य सामाजिक सेवायें	c-v-	10.00	6.26	4.30	30.00	30.00	(–) 53.39
	okLrfod	41.74	29.15	28.71	17.42	8.12	
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	c-v-	4.65	5.65	7.60	6.97	28.03	(–) 18.13
	okLrfod	30.78	13.07	27.04	17.15	14.04	
अन्य करेत्तर प्रप्तियाँ	c-v-	201.73	155.21	150.71	169.50	205.58	(+) 50.09
	okLrfod	130.10	169.59	167.17	193.18	289.94[6]	
;ksx	c-v-	6]184-62	8]662-99	7]420-14	7]704-20	8]170-00	(+) 21-49
	okLrfod	4]929-91	5]214-79	5]669-25	6]340-42	7]703-02	

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)

[6] अन्य करेत्तर प्राप्तियों में वर्ष 2018–19 में निम्न मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ सम्मिलित है: लाभांश तथा लाभ (₹ 1.49 करोड़); लोक सेवा आयोग (₹ 8.58 करोड़); पुलिस (₹ 29.18 करोड़); जेल (₹ 5.78 करोड़); लेखन सामग्री तथा मुद्रण (₹ 2.84 करोड़); पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली (₹ 23.23 करोड़); विविध सामान्य सेवायें (₹ 59.54 करोड़); परिवार कल्याण (₹ 0.07 करोड़); जल पूर्ति तथा सफाई (₹ 4.57 करोड़); आवास (₹ 4.34 करोड़); नगर विकास (₹ 30.31 करोड़); सूचना एवं प्रचार (₹ 0.33 करोड़); श्रम तथा रोजगार (₹ 26.75 करोड़); सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 5.70 करोड़); फसल कृषि कर्म (₹ 25.82 करोड़); पशुपालन (₹ 6.11 करोड़); मछली पालन (₹ 5.44 करोड़); खाद्य भंडारण तथा भांडागारण (₹ 0.63 करोड़); सहकारिता (₹ 7.94 करोड़); अन्य कृषि कार्यक्रम (₹ 1.28 करोड़); अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (₹ 4.30 करोड़); मध्यम सिंचाई (₹ 11.30 करोड़); ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग (₹ 5.62 करोड़); उद्योग (₹ 5.31 करोड़); नगर विमानन (₹ 0.17 करोड़); सड़क तथा पुल (₹ 2.10 करोड़) एवं अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (₹ 11.19 करोड़)।

संबंधित विभागों द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में अंतर साथ ही कुछ मामलों में पूर्व वर्ष से प्राप्ति में कमी के निम्नलिखित कारण सूचित किये गये।

vyksg [kuu rFkk /kkrqdeZ m|ksx% वृद्धि (24.41 प्रतिशत) विगत वर्ष की तुलना में कोयला (13.60 प्रतिशत), लौह अयस्क (1.04 प्रतिशत) और चूना पत्थर (18.89 प्रतिशत) के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई।

okfudh rFkk oU; izk.kh% प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 18.70 प्रतिशत की कमी 15 संभाग धमतरी, गरियाबंद, रायगढ़, धरमजयगढ़, मुंगेली, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, जशपुर, दक्षिण कोंडागाँव, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा एवं सुकमा में कार्य आयोजना की मंजूरी नहीं मिलने के कारण हुई जिससे कूपों में कार्य निष्पादित नहीं किया जा सका। इस मद के अन्तर्गत की प्राप्तियों में भी बजटीय प्रत्याशाओं से 60.55 प्रतिशत की कमी इन्ही कारणों से हुई।

y/kq flapkbZ% इस मद में राजस्व की वृद्धि 34.77 प्रतिशत उद्योगों[7] द्वारा शेष बकाया के जमा करने से हुई। बजट अनुमान की तुलना में कमी (45.81 प्रतिशत) औद्योगिक संस्थाओं द्वारा जल कर नहीं जमा करने एवं स्थानीय निकायों से जल कर की अप्राप्ति से हुई। आगे, राज्य शासन द्वारा किसानों को कर के भुगतान से छूट दी गई।

o`gn flapkbZ% वृद्धि (13.13 प्रतिशत) कोरबा एवं रायपुर नगर निगम के द्वारा शेष जलकर की राशि जमा करने के कारण हुई। बजट अनुमान की तुलना में कमी (29.38 प्रतिशत) राज्य शासन द्वारा छूट दिये जाने एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, द्वारा जल कर के बकाया राजस्व का भुगतान नहीं करने के कारण हुई।

f'k{kk] [ksydwn] dyk rFkk laLd`fr% वर्ष 2017–18 के दौरान पुराने वाहनों की नीलामी से राजस्व में वृद्धि हुई; अतः पिछले वर्ष की तुलना में 2018–19 के वास्तविक प्राप्तियाँ में कमी (18.13 प्रतिशत) हुई।

vU; djsÙkj izkfIr;k¡% वृद्धि (50.09 प्रतिशत) मुख्यतः पुलिस, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली, विविध सामान्य सेवाएँ, सूचना एवं प्रचार, फसल कृषिकर्म, सहकारिता एवं मध्यम सिंचाई मदों में राजस्व की वृद्धि के कारण हुई।

1-3 ys[kkijh{kk izkf/kdkj

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 एवं नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. अधिनियम) से व्युत्पन्न होते हैं। नियंत्रक महालेखापरीक्षक सरकार की प्राप्तियों को डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत लेखापरीक्षा करता है।

1-4 ys[kkijh{kk dh ;kstuk ,oa lapkyu

निम्नलिखित **izokg fp=** योजना, लेखापरीक्षा का संचालन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को तैयार करने की प्रक्रिया को दर्शाता है।

[7] 27 उद्योगों द्वारा बकाया राशि ₹ 23.53 करोड़ जमा किया गया।

fp=&1-1 ;ktuk] ys[kkijh{kk dk lapkyu ,oa ys[kkijh{kk ifronu dh rS;kjh

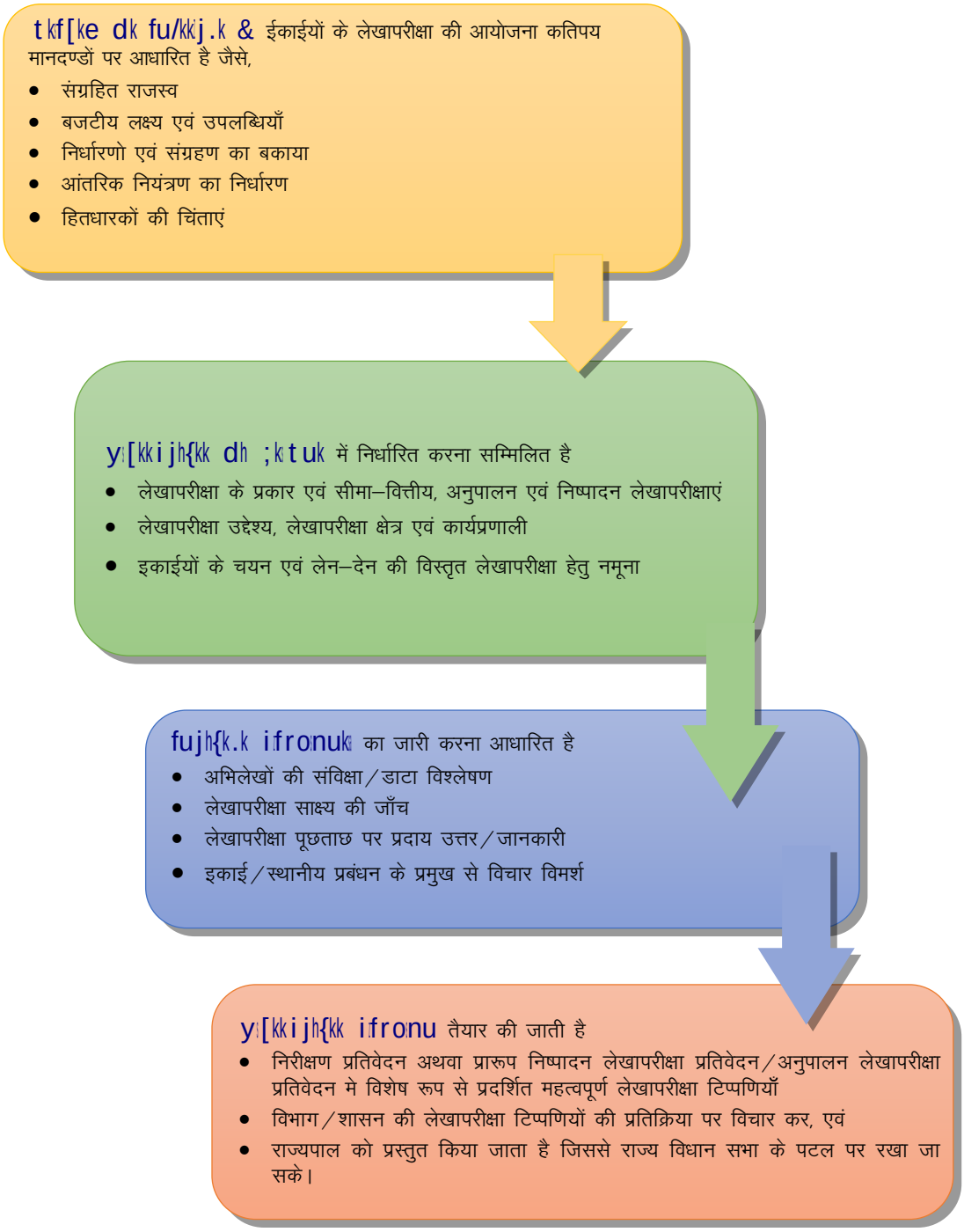

tkf[ke dk fu/kkj.k & ईकाईयों के लेखापरीक्षा की आयोजना कतिपय मानदण्डों पर आधारित है जैसे,

- संग्रहित राजस्व
- बजटीय लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ
- निर्धारणो एवं संग्रहण का बकाया
- आंतरिक नियंत्रण का निर्धारण
- हितधारकों की चिंताएं

ys[kkijh{kk dh ;kstuk में निर्धारित करना सम्मिलित है

- लेखापरीक्षा के प्रकार एवं सीमा–वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षाएं
- लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली
- इकाईयों के चयन एवं लेन–देन की विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु नमूना

fujh{k.k ifronuk का जारी करना आधारित है

- अभिलेखों की संविक्षा/डाटा विश्लेषण
- लेखापरीक्षा साक्ष्य की जाँच
- लेखापरीक्षा पूछताछ पर प्रदाय उत्तर/जानकारी
- इकाई/स्थानीय प्रबंधन के प्रमुख से विचार विमर्श

ys[kkijh{kk ifronu तैयार की जाती है

- निरीक्षण प्रतिवेदन अथवा प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मे विशेष रूप से प्रदर्शित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
- विभाग/शासन की लेखापरीक्षा टिप्पणियों की प्रतिक्रिया पर विचार कर, एवं
- राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है जिससे राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जा सके।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर, इकाई के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जिसमे लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित है, एक माह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निवेदन कर जारी किया जाता है। उत्तर प्राप्त होने पर, लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निपटान किया जाता है अथवा अनुपालन हेतु आगे की कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन नि.प्र. में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जिसे शासन के उच्चतम स्तर पर ध्यान की आवश्यकता हो, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मे शामिल करने के लिए कार्रवाई की जाती है। इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है जिससे वे विधान सभा के पटल पर रखे जा सके।

वर्ष 2018–19 के दौरान आठ[8] विभागों के अंतर्गत कुल 537 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 45 ईकाइयों की लेखापरीक्षा की योजना की गयी एवं कुल 49 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गयी।

1-5 cdk;k jktLo dk fo'ys"k.k

31 मार्च 2019 की स्थिति में सात विभागों का बकाया राजस्व ₹ 8,349.95 करोड़ था, जिसमें से ₹ 1,465.74 करोड़ (17.55 प्रतिशत) पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि rkfydk 1-4 में वर्णन किया गया है:

Rkkfydk 1-4% 31 ekpZ 2019 dh fLFkfr esa cdk;k jktLo

¼₹ djksM+ esa½

l- Ø-	jktLo 'kh"kZ	dqy cdk;k jktLo	ikap o"kZ ls vf/kd le; ls cdk;k राशि	cdk;k izdj.kksa dh oLrq&fLFkfr ds lEca/k esa foHkkx dk mÙkj
1.	विद्युत कर तथा शुल्क	5,182.74	94.11	राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी (₹ 856.50 करोड़); न्यायालयों में लंबित (₹ 201.70 करोड़); अन्य बकाया राशि (₹ 4,124.54 करोड़)।
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,969.00	1,231.99	न्यायालय से रोक (₹ 926.87 करोड़); बीमार उद्योग (₹ 7.55 करोड़); अपलेखन (₹ 2.20 करोड़); अपील एवं संशोधन में लंबित (₹ 330.76 करोड़); फर्मों का व्यवसाय बंद (₹ 869.42 करोड़); अन्य राज्यों को जारी किए गए आर आर सी (₹ 282.15 करोड़); वसूली प्रक्रियाधीन (₹ 550.05 करोड़)।
3.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	124.72	97.31	विभाग द्वारा कहा (जून 2020) गया कि हर माह चूककर्ताओं को मांग पत्र जारी किया गया एवं प्रकरणों को कलेक्टर द्वारा तहसीलदारों को बकाया की वसूली हेतु भेजा गया है। आगे मांग पत्र जारी करने के बाद भी पक्ष अनुपस्थित रहे एवं उच्च न्यायालय/राजस्व परिषद से रोक के कारण भी राशि लंबित रही। बारम्बार अनुरोध किये जाने पर भी विभाग द्वारा बकाया किन स्तरों पर लंबित है, का विवरण प्रदाय नहीं किया गया।
4.	राज्य उत्पाद शुल्क	52.50	27.84	आरआरसी जारी किया (₹ 48.16 करोड़); न्यायालय में लंबित (₹ 4.19 करोड़); अन्य ₹ 0.15 करोड।
5.	वानिकी तथा वन्य प्राणी	10.29	5.51	बारम्बार अनुरोध किये जाने पर भी विभाग द्वारा बकाया किन स्तरों पर लंबित है, का विवरण प्रदाय नहीं किया गया।

[8] वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, भू–राजस्व, परिवहन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन), खनिज संसाधन, वन एवं विद्युत (ऊर्जा)

6.	वाहन कर	9.77	8.05	न्यायालय में लंबित (₹ 0.84 करोड़)। विभाग ने ₹ 8.93 करोड़ की शेष राशि की स्थिति प्रदान नहीं किया।
7.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	0.93[9]	0.93	विभाग ने कहा (दिसम्बर 2019) कि विशेष अभियान द्वारा खनन अधिकारियों को बकाया वसूलने के निर्देश जारी किए गए हैं एवं जिला अधिकारीयों को अत्यंत पुराने बकाया राशि के अपलेखन के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देश दिए गए है।
;ksx		8,349-95	1,465-74	

(स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदायित जानकारी)

आपदा एवं राजस्व प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य के 27 जिलों में से केवल नौ जिलों से संबंधित बकाया का विवरण ही प्रदाय किया जा सका।

31 मार्च 2019 की स्थिति में सात मुख्य विभागों का राजस्व बकाया ₹ 8,349.95 करोड़ था जिसमें से ₹ 2,969.00 करोड़ वाणिज्यिक कर–वस्तु एवं सेवा कर विभाग से संबंधित था। वाणिज्यिक कर–वस्तु एवं सेवा कर विभाग के बकाया राजस्व जो कुल बकाया का 36 प्रतिशत था, का लेखापरीक्षा विश्लेषण किये जाने पर निम्नानुसार पाया गयाः

वाणिज्यिक कर विभाग के नौ[10] वृत्तों का राजस्व बकाया ₹ 1,268.03 करोड़ (वाणिज्यिक कर–वस्तु एवं सेवा कर विभाग के कुल बकाया का 42.71 प्रतिशत) था। चुने गए नौ वृत्तों के प्रत्येक वृत्त के शीर्ष 10 बकायेदारों से संबंधित नस्ति जिसमें ₹ 703.21 करोड़ (कुल बकाया का 23.69 प्रतिशत) सम्मिलित थे, की जांच की गयी एवं पाया गया किः

- लगभग सभी प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आर.आर.सी) जारी की गयी है जिसका अनुसरण बैंक खाता एवं अचल संपत्ति को कुर्की कर किया जाना है।
- विभाग, आयकर विभाग, नगर निगम, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, उप पंजीयक एवं तहसीलदारों से बकायदारों के अचल संपत्तियों का विवरण प्राप्त करने हेतु निरंतर पत्राचार कर रही है।

1-6 ys[kkijh{kk ds ifr 'kklu@foHkkxksa dh ifrfØ;k

1-6-1 cdk;k fujh{k.k ifronuksa dh fLFkfr

शासकीय विभागों एवं कार्यालयों के लेखापरीक्षा समाप्ति उपरांत संबंधित कार्यालय प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है तथा उसकी प्रति संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीयों को प्रेषित की जाती है, ताकि उस पर सुधारात्मक कार्यवाही एवं निगरानी की जा सके। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

31 मार्च 2019 तक कि स्थिति में जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि 2,623 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 10,614 कंडिकाएँ जिसमें राशि ₹ 9,891.26 करोड़ के सम्भावी राजस्व सन्निहित है, नवम्बर 2020 तक बकाया थे। विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विवरण नीचे rkfydk 1-5 में दर्शित है:

---

[9] विभाग द्वारा बकाया त्रुटिवश 2017–18 में ₹ 0.77 करोड़ का कथन किया गया जो ₹ 0.18 करोड़ की चूक से हुई जिसमें से 2018–19 में ₹ 0.02 करोड़ वसूल किए गये।

[10] वा.क.अ., संभाग 1, रायपुर के वृत्त 1 से 5 एवं संभाग 2, रायपुर के वृत्त 6 से 9 ।

rkfydk 1-5½ foHkkxokj ydfcr fujh{k.k izfronuksa dh fLFkfr

¼₹ djksM+ esa½

l-Ø-	foHkkx dk uke	jktLo dh izd`fr	fu-iz- dk izdkj	cdk;k fu-iz- dh la[;k	cdk;k ys[kkijh{kk iz{k.kksa dh la[;k	lfUufgr jkf'k
1.	वाणिज्यिक कर–वस्तु एवं सेवा कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	jkt-	504	3,312	641.26
			0;;	51	85	5.95
2.	आबकारी विभाग	राज्य उत्पाद	jkt-	149	365	2,112.23
		मनोरंजन कर	jkt-	96	152	4.18
		उत्पाद एवं मनोरंजन कर	0;;	35	62	27.63
3.	पंजीयन विभाग	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	jkt-	228	571	102.49
			0;;	7	19	3.81
4.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	भू–राजस्व	jkt-	596	1,884	1,100.87
			0;;	47	120	13.82
5.	परिवहन	वाहन कर	jkt-	184	1,391	240.50
			0;;	51	109	0.21
6.	खनिज साधन	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	jkt-	173	660	1,417.30
			0;;	41	73	363.54
7.	वन	वानिकी तथा वन्य प्राणी	jkt-	385	1,149	1,273.25
			0;;	445	2,167	975.29
8.	ऊर्जा	विद्युत कर तथा शुल्क	jkt-	20	88	2,347.99
			0;;	6	18	8,031.59
9.	अन्य कर विभागों	अन्य प्राप्तियाँ	jkt-	288	1,042	651.19
			0;;	1	10	0.13
			jkt-	2,623	10,614	9,891.26
			0;;	684	2,663	9,421.97
;ksx				3]307	13]277	19]313-23

jkt-&jktLo

वर्ष 2018–19 के दौरान जारी किये गये लेखापरीक्षा के 49 निरीक्षण प्रतिवेदनों से 28[11] निरीक्षण प्रतिवेदनों (57.14 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर कार्यालय प्रमुख से प्राप्त नहीं हुए है।

नि.प्र. एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं में कार्यवाही की कमी इन प्रतिवेदनों में इंगित किये गये गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को निरंतर रखने के जोखिम से युक्त है। इससे शासन प्रक्रिया के आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरी, अकुशल एवं अप्रभावी सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं, धोखा, भ्रष्टाचार एवं सरकारी खजानें को हानि भी हो सकती है।

11 वाणिज्यिक कर–09; परिवहन–01; वन–10; आबकारी–06; राजस्व एवं आपदा प्रबंधन–01 और खनिज साधन–01

vuq'kklu

jkT; 'kklu ys[kkijh{kk fVIif.k;ksa ij Rofjr ,oa mfpr izfrfØ;k lqfuf'pr djs rFkk tks fu-i-@dafMdk,¡ ij mÙkj fu/kkZfjr le; esa izLrqr djus esa foQy jgrs gq] mu ds fo:) dk;Zokbh djsA

1-6-2 izk:i ys[kkijh{kk dafMdkvksa ij 'kklu dh izfrfØ;k

तथ्यात्मक विवरण जो प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है एवं प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकायें जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है, प्रधान महालेखाकार द्वारा संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित करते हुए एवं उत्तर छः सप्ताह के भीतर देने हेतु निवेदन करते हुए प्रेषित किया जाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा विभाग को जारी किये गये 51 तथ्यात्मक विवरण में से 26 तथ्यात्मक विवरणों (51 प्रतिशत) के उत्तर (नवम्बर 2020) प्राप्त नहीं हुए।

इस प्रतिवेदन में शामिल छः अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकायें एवं ''मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण'' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को 2019–20 एवं 2020–21 को उनके टिप्पणियाँ एवं प्रतिक्रिया के लिए भेजी गई थी। हालांकि, विभाग/शासन द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर उत्तर दिये गये, छः में से चार अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2019)। विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों के उत्तर जहाँ प्राप्त हुए है, उचित स्थान पर प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये है।

1-6-3 foHkkxh; ys[kkijh{kk lfefr dh cSBd

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की निगरानी एवं उसे त्वरित करने शासन द्वारा लेखापरीक्षा समिति की स्थापना की जाती है।

वर्ष 2018–19 के दौरान अयोजित लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों की संख्या का विवरण rkfydk 1-6 में दर्शाया गया है।

rkfydk 1-6% ys[kkijh{kk lfefr cSBdksa dk fooj.k

foHkkx	vk;ksftr cSBdksa dh la[;k ,oa mu cSBdksa ds fnukad	ppkZ dh xbZ dafMdkvksa dh la[;k	fujkd`r dafMdkvksa dh la[;k	fujkd`r dafMdkvksa dk izfr'kr	jkf'k ¼₹ yk[k esa½
राज्य आबकारी	1 (14/4/2018)	74	32	43.24	587.55
पंजीयन	1 (10/5/2018)	307	141	45.93	399.34
;ksx		381	173	89-17	986-89

लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु लेखापरीक्षा समिति बैठकों के आयोजन करने के प्रयास किये गये एवं मामला विभागों के प्रमुखों तक ले जाया गया। यद्यपि, वर्ष 2018–19 के दौरान केवल दो विभागों, राज्य आबकारी एवं पंजीयन विभागों द्वारा ही लेखापरीक्षा समिति बैंठकों का आयोजन किया गया।

vuq'kalk

jkT; 'kklu leLr foHkkxksa dks funsZf'kr djs fd le;≤ ij ys[kkijh{kk lfefr cSBdksa dk vk;kstu djsa] ysfcr ys[kkijh{kk iz{k.kksa dk fujkdj.k djs ,oa lqfuf'pr djs fd ysfcr dafMdkvksa ds fujkdj.k gsrq ys[kkijh{kk dks ikfjlfxd vfHkys[k vLrqu dj iLrqr djsA

1-6-4 ys[kkijh{kk gsrq vfHkys[kksa dks iLrqr ugha fd;k tkuk

कर राजस्व/करेत्तर राजस्व कार्यालयों का स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम अग्रिम में तैयार किया जाता है और विभागों को सूचना भेज दी जाती है जिससे विभाग लेखापरीक्षा जाँच हेतु प्रासंगिक अभिलेख तैयार कर सके।

अवधि 2018–19 में 28[12] कर निर्धारण नस्तियां, विवरणियाँ, प्रतिदाय, दस्तावेज, पंजियां एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये। निरीक्षण प्रतिवेदनों में इस मुद्दे पर प्रकाश डाला गया एवं संबंधित विभागों के सचिवों को सूचित किया गया। किसी भी प्रकरण में कर के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना खतरों का सूचक है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा संव्यवहारों के सत्यता की प्रमाणिकता नहीं की जा सकी तथा धोखाधड़ी की संभावनाओं एवं जनता के धन के दुरूपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता।

vuq'kalk

'kklu ,sls mi;qDr r= LFkkfir djs ftlls ;g lqfuf'pr fd;k tk lds fd foHkkxh; vf/kdkfj;ksa }kjk ys[kkijh{kk tkp gsrq ekax dh x;h leLr vfHkys[kksa dk iLrqr djs ,oa ,sls vf/kdkfj;ksa ds fo:) अनुशासनkRed dkjZokbZ ikjEHk djs tks bl lac/k esa ikyu djus esa foQy jgrs gSA

1-6-5 ys[kkijh{kk ij vuqlj.k&lkjka'k fLFkfr

वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशानुसार, सभी विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी कंडिकाओं के व्याख्यात्मक उत्तर (विभागीय टिप्पणी) छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर प्रस्तुत होने की स्थिति से तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवदेन (राजस्व क्षेत्र) की समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2009 से 31 मार्च 2018 तक की 232 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा को सम्मिलित कर) को राज्य विधानसभा में मार्च 2010 एवं मार्च 2020 के मध्य प्रस्तुत किया गया।

लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा 2002–03 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 173 चुनिंदा कंडिकाओं में से 154 कंडिकाओं का चर्चा हेतु चयन किया गया था एवं वर्ष 2002–03 से 2011–12 एवं 2013–14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 55 कंडिकाओं पर अनुशंसा दी गयी। परंतु 2010–11 एवं 2019–20 के मध्य 22[13] अनुशंसाओं पर संबंधित विभागों से नवम्बर 2020 की स्थिति में कार्रवाई टीप (ए.टी.एन.) अप्राप्त है।

1-7 ys[kkijh{kk ifj.kke

वर्ष 2018–19 के दौरान वाणिज्यिक कर–वस्तु एवं सेवा कर, राज्य आबकारी, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस, विद्युत कर तथा शुल्क, खनिज प्राप्तियाँ, वाहन कर एवं

---

12 वाणिज्यिक कर–वस्तु एवं सेवा कर –17 प्रकरण एवं वन –11 प्रकरण

13 वाणिज्यिक कर–वस्तु एवं सेवा कर–07; आबकारी–02; वन–02; खनिज–01; परिवहन–05; विद्युत (ऊर्जा)–02; ब्याज प्राप्तियाँ –01 एवं जल संसाधन–02

वानिकी तथा वन्य प्राणी के 49 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में कर, शुल्क एवं फीस के अवरोपण/अनारोपण, राजस्व की हानि, अनियमित/परिहार्य व्यय आदि के 6,603 प्रकरणों में कुल सन्निहित राशि ₹ 265.02 करोड़ की अनियमिततायें पायी गई। संबंधित विभागों द्वारा अवनिर्धारणों एवं अन्य कमियों के 1,795 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 6.67 करोड़ को स्वीकार किया गया।

आगे, वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित एक निष्पादन लेखापरीक्षा "मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण" में ₹ 72.39 करोड़ का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम/अनारोपण पाया गया। विभाग द्वारा ₹ 63.87 करोड़ का न्यून मूल्यांकन स्वीकार किया गया।

इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को नीचे संक्षिप्त में दिया गया है :

1-7-1 okf.kfT;d dj

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नौ प्रकरणों में वैट की कम दर लागू की गई, जिसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 1.54 करोड़ का अवरोपण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 3.08 करोड़ का शास्ति भी आरोपणीय है।

¼dfMdk 2-4½

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अंतर्राज्य विक्रय, माल अंतरण, पारगमन और निर्यात विक्रय के विरूद्ध दिये गये छुट/रियायती कर की दर गलत स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप कर ₹ 1.53 करोड़ का अन/अवरोपण हुआ।

¼dfMdk 2-5½

1-7-2 okguksa ij dj

पाँच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (क्षे.प.अ.)/जिला परिवहन अधिकारियों (जि.प.अ.) द्वारा वाहन स्वामियों से मोटरयान कर का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहने से 471 वाहन स्वामियों से कर ₹ 1.26 करोड़ एवं शास्ति ₹ 1.26 करोड़ की वसूली नही हुई।

¼dfMdk 3-3½

1-7-3 fo|qr 'kqYd

विद्युत शुल्क के विलंब से भुगतान पर मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा ब्याज आरोपित करने में विफलता के फलस्वरूप ब्याज ₹ 1.24 करोड की अप्राप्ति।

¼dfMdk 4-3½

1-7-4 okfudh rFkk oU; izk.kh

दो वनमण्डलाधिकारियों द्वारा विभागीय अनुदेशों का अनुपालन न करने के कारण ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन कार्यों पर ₹ 1.30 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

¼dfMdk 5-3½

तीन वनमण्डलाधिकारियों द्वारा कार्य योजना कोड के प्रावधानों का उल्लंघन कर वृक्षारोपण कार्य वृत के 1,418.557 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपणरहित बिगड़े वनों की पुर्नस्थापना का कार्य किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ दो करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

¼dfMdk 5-4½

1-7-5 enkd 'kYd ,o ith;u Qhl

enkd 'kYd ,o ith;u Qhl d fu/kkj.k] vkjki.k ,o lxg.k पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईः

विभाग द्वारा स्टॉक/कमोडिटी एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर मुद्रांक शुल्क के प्राप्ति के लिए ठोस प्रयास नहीं किये गये, परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क की राशि ₹ 63.71 करोड़ की प्राप्ति नहीं हो सकी।

¼dfMdk 6-5-4-4½

विलेखों के गलत वर्गीकरण, बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रावधानों का पालन न करने, एवं दस्तावेजों में तथ्यों की अनदेखी करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 8.52 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

¼dfMdk 6-5-4-9½

विभाग द्वारा सेवा प्रदाता को 'गो–लाईव' प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। आगे, प्रस्तावों हेतु अनुरोधों (आर.एफ.पी.) में उल्लेखित न्यूनतम सेवा स्तर मानकों की प्राप्ति के लिए सेवा स्तर करार (एस.एल.ए) का निष्पादन भी नहीं किया गया।

¼dfMdk 6-5-4-14 ¼v½] ¼c½ ,o ¼l½½

वर्ष 2017 में पहली बार सिक्यूरीटी आडिट की वैद्यता समाप्त होने के बाद कोई भी सिक्यूरीटी आडिट नहीं कराया गया। आगे, आर.एफ.पी. में प्रावधान के बावजुद बायोमेट्रिक आधारित पक्षकारों/गवाहों के पहचान एवं सत्यापन के लिए कोई प्रावधान नहीं किये गये।

¼dfMdk 6-5-4-15 ¼v½ ,o ¼c½½

सेवा प्रदाता द्वारा सिस्टम का यूजर एक्सेपटेंस टेस्टिंग (यू.ए.टी.) बगैर विभाग के भागीदारी के एकपक्षिय किया गया। यू.ए.टी. में प्रभावी भागीदारी होने से बीजनेस लाजिक के मैपिंग में कमियों का संबोधन किया जा सकता था।

¼dfMdk 6-5-4-16½

विलेखों के आवश्यक डाटा को एकत्रित करने के लिए एकल इनपुट फार्म पर्याप्त नहीं था। आगे, एप्लिकेशन में 'निष्पादन दिनांक' की प्रविष्टि के लिए प्रावधान नहीं था। जिसके चलते पंजीयन प्राधिकारी को संपत्तियों के बाजार मूल्य की गणना सही एवं निष्पादन दिनांक से निश्चित अवधि में विलेखों का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने के लिए मैनुअल रीति से करना पड़ता था।

¼dfMdk 6-5-4-17½

1-8 vfHkLohdfr

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़, विभिन्न राज्य शासन विभागों (वाणिज्यिक कर–वस्तु एवं सेवा कर, परिवहन, ऊर्जा एवं वन) विशेष रूप से निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा दिये गये सहयोग एवं सहायता की अभिस्वीकृति करता है।